

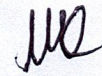
न्यायालय ,श्री उदय कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी,प्रथम श्रेणी ,बगहा ,प० चम्पारण

C-920/2022

CRP-1019/2022

19-07-2025 परिवादी आज भी अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से आज भी कोई भी पैरवी नहीं है। परिवाद पत्र का अवलोकन किया, जिससे विदित होता कि परिवादी द्वारा पिछले कई तिथियों से ना कोई पैरवी किया गया है और नाही स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ है। जिससे विदित होता है कि परिवादी का परिवाद पत्र में कोई अभिरुचि नहीं है। अतः परिवाद पत्र को द.प्र.स.की धारा 203(3) के अन्तर्गत पैरवी के आभाव में खारिज किया जाता है।

लेखापित



न्या.दण्डा.-।

from the a

Upadhyay

माह 10